



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2017

श्रावण 26, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 1/2017/1569/6-पु-1-17-54-2015

लखनऊ 17 अगस्त, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-28

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन)

नियमावली, 2017

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा संक्षिप्त नाम और (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे सामान्य संशोधन उक्त नियमावली कहा गया है में, शब्द "आरक्षी" तथा "मुख्य आरक्षी" शीर्षक और पार्श्व शीर्षक सहित, जहाँ कहीं भी आए हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "आरक्षी नागरिक पुलिस" तथा "मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस" रख दिए जायेंगे।

नियम-8 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

शैक्षिक अर्हता:-

8-पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

नियम-9 की टिप्पणी का संशोधन

4-उक्त नियमावली में नियम-9 में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी टिप्पणी रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

टिप्पणी:- उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में नियम 15(ड) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

नियम-14 का संशोधन

5-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

रिक्तियों का अवधारण:-

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरुष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा एवं तदुपरान्त पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियां बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से अलग-अलग अधिसूचित की जायेंगी:-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

शैक्षिक अर्हता:-

8- आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना आवश्यक है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

टिप्पणी:- ऊपर अंकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या उनसे अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में नियम 15 के अधीन अन्तिम चयन सूची में अधिमान प्रदान किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

रिक्तियों का अवधारण:-

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा। तत्पश्चात बोर्ड निम्नलिखित रीति से रिक्तियों अधिसूचित करेगा :-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- नियम-15 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

आरक्षियों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-

15-(क) आवेदन-पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा एवं एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध कराये जायेंगे।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पाँच) आवेदन-पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

(छ) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-

15 (1) आवेदन-पत्र एवं बुलावा-पत्र

(एक) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा।

(दो) अभ्यर्थी को केवल एक आवेदन-पत्र भरना होगा। बोर्ड, केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

(तीन) आवेदन-पत्र भरने एवं बुलावा पत्र जारी किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) सरकार, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर उसके लिए कोई कारण समनुदेशित किए बिना रद्द कर सकती है।

(2) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जायें, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं ताकिक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर श्रेष्ठता सूची-

ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं उन सभी को, उनके द्वारा इस नियमावली के नियम (8) के अन्तर्गत प्रावधानित, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जायेंगे। इन प्रदान किए जाने वाले अंकों में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक प्रदान किए जायेंगे। उनको प्रदान किए जाने वाले यह अंक दशमलव के बाद दूसरे अंक तक लिए जायेंगे एवं यह निम्नलिखित रीति से प्रदान किए जायेंगे :-

(एक) 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = अभ्यर्थी द्वारा उसकी 10वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

(दो) 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = 2 X अभ्यर्थी द्वारा उसकी 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

यदि किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं अथवा 12वीं की उपरोक्त किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं तो भर्ती बोर्ड द्वारा सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से ग्रेड के समकक्ष प्रदान किए जाने वाले अंकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:-

1-लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2-यदि बोर्ड लिखित परीक्षा, एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिये विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।

(3) दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण-

(क) उपनियम (2) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, योग्यता के आधार पर इस परीक्षण के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय अपने स्तर से करेगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक निम्न होंगे:-

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-**(एक) ऊँचाई :**

(कक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(खख) अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेन्टीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और अन्यून 82 सेन्टीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:-न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

प्राप्त 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान अंक एवं 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंको का योग कर उसे कुल अंक प्रदान किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम 300 अंकों में से उपरोक्त अंकों के योग के अनुसार कुल अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रदान किये गये कुल अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सूची बनायी जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी श्रेष्ठता सूची में से रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना के बराबर संख्या में अभ्यर्थी श्रेष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाये जायेंगे। श्रेष्ठता सूची के अन्तिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी पाये जायें तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्र माना जायेगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा-

खण्ड (ख) के अधीन श्रेष्ठता सूची में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 200 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-1 में विहित की गयी है।

(घ) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा-

खण्ड (ग) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा परिशिष्ट-2 के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

(ङ) चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची-

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा एवं अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात् सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा खण्ड (ख) के अनुसार 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर दिए गए अंकों एवं खण्ड (ग) में शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त कुल

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई :

(कक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(खख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

(ख) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) इस परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है, तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात् उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिये बोर्ड, प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा उक्त नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः संचालित कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रतर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) शारीरिक दक्षता परीक्षण-

(क) दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

अंकों के योग के आधार पर, आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्रियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं 10वीं तथा 12वीं की अंकतालिकाओं के सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबन्धित को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:—यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:—

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त कुल अंकों में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(2) यदि उपर्युक्त के बाद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम-9 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(3) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(4) यदि उपर्युक्त के वावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(च) 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंकतालिकाओं का सत्यापन—

चयन सूची तैयार करते समय बोर्ड सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की अंकतालिकाओं को सत्यापन हेतु सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड को

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(ख) इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किमी० की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किमी० की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षण को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची—

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए, तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

(ख) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

(ग) विभागाध्यक्ष, अनुमोदनोपरान्त, अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्याधीन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये इसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

टिप्पणी:— यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:—

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो अधिमानी अर्हता (नियम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, धारित करता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता की प्रसुविधा प्राप्त करेगा।

(2) तथापि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

भेजेगा। बोर्ड, यथासमय सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त सत्यापन आख्याओं को पुलिस मुख्यालय को बाद में अलग से प्रेषित करेगा जो इसे नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा। अगर किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रेषित की गयी आख्या में किसी अभ्यर्थी की 10वीं अथवा 12वीं परीक्षा की अंकतालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

(छ) चिकित्सा परीक्षा

खण्ड (ड.) के अधीन प्रेषित चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किये गये स्थान पर की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(3) यदि ऊपर उल्लिखित एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

(6) चिकित्सा परीक्षा

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हों, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिये, तीन

(3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल, पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोड कृत "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा।

(ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि यह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के पश्चात् किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।

(घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ होगा।

(ङ) आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिये अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिये विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे।

(छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियों अगले चयन के लिए अग्रणीत की जायेंगी।

नियम-18 का
संशोधन

7-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-18(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

नियुक्ति:-

18-(1) नियम-15 एवं नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के खण्ड (छ) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियुक्ति:-

18-(1) नियम-15 एवं 16 के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हें पत्र जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन/नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

परिशिष्ट-1, 2
और 3 का
निकाला जाना

8-उक्त नियमावली में, परिशिष्ट 1, 2 और 3 निकाल दिये जाएंगे।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव, गृह।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54-2015, dated August 17, 2017.

No. 1/2017/1569/6-pu-1-17-54-2015

Dated Lucknow, August 17, 2017

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-section (3) of the said section and section-2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015:-

**THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE
SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2017**

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (First Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015 hereinafter referred to as the said rules for the words "Constable" and "Head Constable" wherever occurring including heading and marginal heading, the words "Constable Civil Police" and "Head Constable Civil Police" respectively shall be substituted.

General
Amendment

3. In the said rules, for existing rule 8 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Amendment of
rule 8

COLUMN-I

Existing rule

Academic qualification:

A candidate for direct recruitment to the post of Police Constable must possess the qualification of 10th and 12th standard by a Board established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Academic qualification:

A candidate for direct recruitment to the post of Constable Civil Police must possess the qualification of 12th standard by a Board established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

4. In the said rules in rule 9 for the existing Note set out in Column I below, the Note as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Amendment of
Note of rule 9

COLUMN-I

Existing rule

Note:—Above noted preferential qualification shall carry no marks, but in the event of two or more candidates having equal marks, candidates with preferential qualifications shall be given preference in final selection list under rule 15(e).

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Note:—Above noted preferential qualification shall carry no marks, but in the event of two or more candidates having equal marks, candidates with preferential qualifications shall be given preference in final selection list under rule 15.

5. In the said rules, for existing rule 14 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Amendment of
rule 14

COLUMN-I

Existing rule

Determination of vacancies:—

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies for both male and female candidates separately, to the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify the vacancies for both male and female candidates separately in the following manner:-

(i) by issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having wide circulation;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Determination of vacancies:—

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies to the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify the vacancies in the following manner:-

(i) by issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having wide circulation;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;

COLUMN-I*Existing rule*

- (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange; and
 (iv) by other means of mass communication.

Amendment of
rule 15

6. In the said rules, for existing rule-15 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I*Existing rule*

Procedure for Direct Recruitment to the post of Constable:-

15- (a). Application Form:-

(i) A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one Forms, may be rejected by the Board.

(ii) The details of the information regarding educational qualification, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, medical examination etc., other important guidelines as determined by the Board from time to time shall be made available by the Board on its own website and or by other means as it deems necessary.

(iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for making application, the candidate shall be personally and solely responsible for its accuracy and completeness, if the Form of any candidate is found incomplete, wrong or having inaccurate information, it may be cancelled and the decision of the Board in this regard shall be final.

(iv) An applicant shall certify himself his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.

(v) In the Application Form the detail of the identity, specific identity card number, thumb and finger impression, photographs or bio-matrix details will be so included as determined by the Board from time to time.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

- (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange; and
 (iv) by other means of mass communication.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

Procedure for Direct Recruitment to the post of Constable Civil Police:-

15-(1) Application Form and Call Letter:-

(i) The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for any recruitment.

(ii) A candidate shall fill only one Application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one form, may be rejected by the Board.

(iii) Detailed procedure of filling the Application Form and issuance of call letter shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

(iv) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

(2) Written Examination-

Candidates, whose applications are found correct, shall be required to appear in written examination. In the written

COLUMN-I*Existing rule*

(vi) The Head of the Department may fix an application fee for any recruitment in consultation with the Recruitment Board.

(vii) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.

(viii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.

(b) Merit List on the basis of 10th and 12th examination results

All such candidates whose application forms are found correct, shall be awarded marks on the basis of their 10th and 12th standard Board examination results, or qualification equivalent thereto, as provided under clause (8) of these rules. For awarding these marks, maximum of 100 marks will be awarded on the basis of 10th standard Board examination and maximum of 200 marks will be awarded on the basis of 12th standard Board examination. The marks such awarded to them will be counted upto second digit after decimal point and will be awarded as per following procedure:-

(1) Marks awarded on the basis of 10th examination result = percentage of marks obtained by the candidate in 10th standard Board or examination equivalent thereto.

(2) Marks awarded on the basis of 12th examination result = 2 × Percentage of marks obtained by the candidate in 12th standard Board or examination equivalent thereto.

If any examination Board, awards grades in place of marks to the candidates, in above mentioned 10th and 12th examination, then Board shall

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

examination, the Board will keep one objective type question paper. The written examination will be of 300 marks and it shall have questions from General Knowledge, General Hindi, Numerical and Mental Ability, Mental Aptitude/I.Q. and Reasoning Ability.

Candidates will be awarded negative marks for wrong answers in the written examination. The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and will be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers or through computer based written examination system.

Note:-

(1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

(2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shifts, with different question papers, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examinations at its level and will publish it in its advertisement.

(3) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-

(A) Candidates found successful in written examination under sub-rule (2) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and Physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates on the basis of merit to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-

(I) Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-**(i) Height:-**

(aa) for General/Other Backward Classes and Scheduled Castes male

COLUMN-I

Existing rule

proceed only after taking information from concerned examination Board, regarding marks to be awarded equivalent to corresponding grades. Candidates shall be awarded total marks on the basis of sum total of marks awarded to them on the basis of 10th class examination results and marks awarded to them on the basis of 12th class examination results, as above. All candidates will be awarded total marks as per sum total of marks awarded as above, out of a maximum of 300 marks and a list in the order of merit will be prepared on the basis of these total awarded marks. Out of the merit list such prepared, candidates equal to 15 times the number of total vacancies, on the basis of merit shall be called for Physical Efficiency Test. If more than one candidates are found on the marks obtained by the last candidate in the merit list then all such candidates shall be considered eligible for Physical Efficiency Test.

(c) Physical Efficiency Test-

All Candidates declared eligible in the merit list under clause (b) shall be required to participate in Physical Efficiency Test which shall be of 200 marks. The procedure for conducting the Physical Efficiency Test shall be as prescribed in Appendix-1.

(d) Scrutiny of Documents & Physical Standard Test

The scrutiny of documents & Physical Standard Test of candidates selected under clause (c) mentioned above shall be done according to Appendix-2. In case any document is found to be manipulated, inaccurate or forged during the scrutiny or at anytime after the scrutiny, the candidature of the applicant will be cancelled at the discretion of the Board or the Appointing authority as the case may be.

(e) Selection and Final Merit List:-

From amongst the candidates found successful after Physical Standards Test and scrutiny of documents under clause (d), the Board shall prepare, as per the

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

candidates minimum height should be 168 centimetre.

(bb) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 160 centimetre.

(ii) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward Classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion; and for the candidates belonging to the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 centimetre chest expansion is essential.

(II) Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(i) Height:-

(aa) for General/Other Backward Classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 152 centimetre.

(bb) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 147 centimetre.

(ii) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

(B) For conducting scrutiny of documents and Physical Standard Test, a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Superintendent of Police nominated by the District Superintendent of Police will be the member. The other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Superintendent of Police if requested by the Board.

(C) Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

(D) If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he/she may file an objection on the same day after the test. For clearing all such

COLUMN-IExisting rule

vacancies, a select list of each category of candidates, on the basis of sum total of marks awarded to each candidate on the basis of 10th and 12th examination results as per clause (b) and marks obtained by him in physical efficiency test as per clause (c), keeping in view the reservation policy and send it with recommendation to the head of the department subject to character verification, medical examination and 10th and 12th examination mark sheet verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the concerned Authority for further action.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then the merit list shall be decided according to the following procedure:-

(2) If marks of two or more candidates are equal then candidate obtaining higher marks, as per total marks awarded in clause (b), will be given preference.

(3) If two or more candidates are equal even after this the candidates who have the preferential qualification (in the same order as stated in rule 9) will be given preference. Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.

(4) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.

(5) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(f) Verification of 10th and 12th examination marks sheets

COLUMN-IIRule as hereby substituted

objections; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the Committee in the presence of the said nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.

(4) Physical Efficiency Test-

(a) Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Physical Standard Test will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature.

(b) For qualifying in this physical efficiency test it shall be necessary for male candidates to complete 4.8 km. run in 25 minutes and for female candidates to complete 2.4 km. run in 14 minutes. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for recruitment.

(c) Detailed procedure for Physical Efficiency Test shall be determined by Board and will be displayed on its own website. For conducting this test a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Superintendent of Police nominated by the District Superintendent of Police will be a member. The other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Superintendent of Police if required by the board.

(5) Selection and Final Merit List:-

(a) From amongst the candidates found successful in Physical Efficiency Test, the Board shall prepare a select list of each category of candidates, as per order of marks obtained by each candidate in written examination, keeping in view the reservation policy and send it to the Head of the Department and also publish it on the Board's website.

COLUMN-I*Existing rule*

While preparing the final select list, the Board will send for verifications to the concerned Education Board, the 10th and 12th class mark sheets of all candidates, included in the select list. As and when their verification reports from concerned Education Boards are received, the Board will send them separately to Police Headquarter later on, who will subsequently send it to the Appointing Authority for necessary action. If as per report sent by concerned Education Board, the 10th or 12th examination marks sheets of any candidate, is not verified, then such candidate shall be declared unfit by the Appointing Authority and such vacancies shall be carried forward for new selection.

(g) Medical Examination

The candidates whose name are in the select list sent as per clause (e), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted in the Police Line of the concerned District or at the place mentioned by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted as per Appendix-3. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

(b) No waiting list shall be prepared by the Board.

(c) The Head of the Department shall, after approval, send it to the Appointing Authority for issuing appointment letters subject to the Medical Examination and Character Verification of the candidates.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid in following order:-

(1) Such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule-9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.

(2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.

(3) If the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets, of their names mentioned in High School Certificate.

(6) Medical Examination-

(a) The candidates whose names figure in the select list will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority.

(b) The Appointing authority shall request the Chief Medical Officer of the concerned district to constitute a Medical Board consisting of panel of 3 doctors for conducting the medical examination in consultation with the Director General of Medical Health. The panel will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Head of Department of police.

(c) Any candidate not satisfied with his Medical Examination, may file an appeal before the Divisional Medical Board on the day of examination itself. Any appeal with regard to

COLUMN-I
Existing rule

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Medical Examination will not be considered if it is filed on any date after the date of his Medical Examination and declaration of its result thereof.

(d) The Medical Board constituted for appeal shall have an expert relating to Medical deficiency of the applicant.

(e) The decision of the Divisional Medical Board on the appeal filed by the candidate about his/her medical examination shall be final and binding on the candidate and no appeal against it will be entertained.

(f) The detailed instructions for conducting Medical Examination will be issued by the Director General of Police.

(g) The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

7. In the said rules, for existing rule-18(1) set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of rule-18

COLUMN-I
Existing rule

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Appointment:

18. (1) Subject to the provisions of rules 15 and 16, the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the same order in which they stand in the list prepared under clause (g) of rule 15. The Appointing authority shall issue the appointment letter to the candidates with the direction that they should report for service/training within one month of the date of issue of the letter or any date specified for this purpose in the appointment letter. If he does not do so his selection/ appointment shall be cancelled.

Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rules and is working on the post, shall be deemed to have been substantively appointed under these rules.

Appointment:

18- (1) Subject to the provisions of rules 15 and 16, the Appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the same order in which they stand in the list prepared under rule 15. The appointing authority shall issue the appointment letter to the candidates with the direction that they should report for service/training within one month of the date of issue of the letter or any date specified for this purpose in the appointment letter. If he does not do so his selection/ appointment shall be cancelled.

Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rules and is working on the post, shall be deemed to have been substantively appointed under these rules.

8. In the said rules, the Appendix- 1, 2 and 3 shall be *omitted* :-

Omission of Appendix-1, 2 and 3

By order,
ARVIND KUMAR,
Pramukh Sachiv Grih.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 243 राजपत्र (हि०)-2017-(788)-599 (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी-ए०पी० 2 सा० गृह पुलिस-2017-(789)-2000 (क०/टी०/ऑफसेट)।